5/11/24	पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उप०। स्टेट की ओर से रिपोर्ट अप्राप्त। शामिल मिसल रहे। वकील वादी से हस्तगत वाद में संबंधित ग्राम पंचायत के लैटर हैड पर जाति प्रमाण-पत्र चाहा गया। अगली तारीख पेशी पर पेश हो। पत्रावली दिनांक 13/11/24 को पेश हो।
13/11/24	पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उप०। P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली दिनांक 23/12/24 को पेश हो।
23/12/24	पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उप०। वकील वादी एवं राजपक्ष द्वारा हस्तगत प्रकरण में बहस की गई। बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.04.28 14:59:06 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं.
	बहस के दौरान कथित अभिलेखों एवं पत्रावली पर उप० दस्तावेजों के अवलोकन एवं मनन उपरान्त वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल रहे। वाद पत्र फैसलानुसार होकर दाखिल दफ्तर हो व दर्ज रजिस्टर से कम हो।	

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.04.28 14:59:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–सुरेश कुमार राव (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः–97/2024
जी.सी.एम.एस नं.–2024/203

बिरमाराम पुत्र लेखराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं.–10 अनूपगढ़ तहसील व जिला अनूपगढ़ (राज)

———वादी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

————प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील उपस्थित

1. श्री हंसराज डाल एडवोकेट —वादी की ओर से
2. राज पैरोकार —प्रतिवादी की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांक–23/12/24

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक–9 एल.एम (ए) तहसील अनूपगढ का नया खाता सं.–28 पुराना खाता सं.–30 का मुरब्बा नं.–15 पत्थर सं.–284/475 में कुल 3.4670 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी रकबा सयुंक्त खाता में दर्ज है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व चक–2 एम.एस.आर तहसील अनूपगढ़ का नया खाता सं.–35 पुराना खाता सं.–48 का मुरब्बा नं.–2 पत्थर सं.–303/436 में कुल 3.7950 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी रकबा सयुंक्त खाता मे दर्ज है जिसमें वादी का 949/3795 हिस्सा वादी के नाम ब्रहमाराम पुत्र लेखराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न है यह कि वादी का सही व वास्तविक नाम बिरमाराम पुत्र लेखराम हैं लेकिन वादी का घरेलु नाम ब्रहमाराम होने के कारण वादी को घर व रिश्तेदारी में दोनो नामो से ब्रहमाराम व बिरमाराम के नाम से जानते व पुकारते थे यह कि वादी यहां यह स्पष्ट करना उचित समझता है कि उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बिरमाराम के स्थान पर ब्रहमाराम दर्ज हो गया था जो एक सद्भाविक एवं मानवीय भुल हैं वादी व वादी का परिवार ग्रामीण परिवेश का हैं वादी भी ग्रामीण परिवेश का होने का काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं जिसके बारे में वादी को पूर्व में कोई इल्म नहीं था यह कि वादी का सही नाम बिरमाराम पुत्र लेखराम है तथा वादी का सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, पैन कार्ड आदि जिनकी प्रतिया सलग्न हैं, मे वादी [illegible] बिरमाराम पुत्र लेखराम दर्ज है लेकिन वादी के घर में वादी को उसके घरेलु नाम ब्रहमाराम [illegible] नाम [illegible] पुकारते थे इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी का घरेलु नाम ब्रहमाराम ही दर्ज करवा दिया [illegible] था जबकि वादी का सहीं व वास्तविक नाम बिरमाराम हैं इस प्रकार बिरमाराम व ब्रहमाराम वादी के ही नाम है तथा वादी को इन दोनो नामो से जाना व पुकारा जाता है यह कि वादी [illegible] कि ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति हैं वादी को पूर्व में उक्त त्रुटि का कतई ज्ञान नहीं था अब वादी उक्त कृषि भूमि पर ऋण सुविधा की पत्रावाली तैयार करवाने के संबंध में अरसा 3 दिन पूर्व पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी हल्का ने रिकार्ड देख कर बताया कि आपका यानि बिरमाराम का नाम राजस्व रिकार्ड मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.04.28 14:59:06 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

दर्ज नही है बल्कि आपका नाम राजस्व रिकार्ड मे ब्रहमाराम पुत्र लेखराम दर्ज है जिस पर वादी ने पटवारी हल्का को बताया कि उसका सही नाम बिरमाराम है और घर पर उसे उसके घरेलु नाम ब्रहमाराम के नाम से बुलाते है और बिरमाराम व ब्रहमाराम दोनो नाम मेरे ही है, तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि को दुरुस्त करवाने के लिए माननीय अदालत में चाराजोही करने के लिए कहा। जिस पर वादी तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होने कहा कि सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। बस यही बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत हैं यह कि बादी का सही व वास्तविक नाम बिरमाराम पुत्र लेखराम है लेकिन सहवन से वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में उसके घरेलु नाम ब्रहमाराम दर्ज हो गया है जो कि एक सद्‌भाविक व मानवीय भूल हैं भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेज मे नाम अलग–अलग होने के कारण वादी को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम गलत रूप से ब्रहमाराम दर्ज हैं और आवश्यक दस्तावेजात जैसे सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, पैन कार्ड आदि व अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम बिरमाराम पुत्र लेखराम दर्ज हैं जिससे वादी को भविष्य में उक्त कृषि भूमि के संबंध में बैंक इत्यादी से लोन आदि लेने में वादी को काफी दिक्कत व परेशानीयो का सामना करना पड़ रहा हैं इसलिए भी न्यायहित में राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत दर्ज हुए नाम को दुरूस्त किया जाकर सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में वादी को दो अलग–अलग नाम दर्ज होने से किसी प्रकार की परेशानीयो का सामना ना करना पडे और वादी अपने सही वा वास्तविक नाम बिरमाराम के नाम से ही अपनी उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर सके। इसलिए वादी को माननीय न्यायालय से घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी एवं दावेदार हैं फलस्वरूप वादी को माननीय अदालत की शरण में आना पड़ रहा है अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार कर वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से निर्णित व डिक्री फरमाया जावे इस अमर की घोषणात्मक डिक्री पारित की जावें कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2076–2079 में दर्ज खातेदारी कृषि भूमि वाके चक–9 एल.एम (ए) तहसील अनूपगढ़ का नया खाता सं.–28 पुराना खाता सं.–30 का मुरब्बा नं.–15 पत्थर सं. –284/475 में कुल 3.4670 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी रकबा में से 1/2 हिस्सा जो ब्रहमाराम पुत्र लेखराम के नाम से दर्ज है. के संबंध में वादी के खातेदार अधिकार की घोषणा की जाकर इस कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादी बिरमाराम पुत्र लेखराम के नाम की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाकर प्रतिवादी को वादी का नाम बिरमाराम पुत्र लेखराम दर्ज किऐ जाने के आदेश प्रदान करें इस अमर की घोषणात्मक डिक्री पारित की जावें कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2073–2076 में दर्ज खातेदारी चक–2 एम.एस.आर तहसील अनूपगढ़ का नया खाता सं.–35 पुराना खाता सं.–48 का मुरब्बा नं.–2 पत्थर सं.–303/436 मे कुल 3.7950 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी रकबा मे से 949/3795 हिस्सा जो ब्रहमाराम पुत्र लेखराम के नाम से दर्ज है, के संबंध मे वादी के खातेदार अधिकार की घोषणा की जाकर इस कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादी बिरमाराम पुत्र लेखराम के नाम की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाकर प्रतिवादी को वादी का नाम बिरमाराम पुत्र लेखराम दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। जबाब स्टेट तहसीलदार (भू.अ.) से प्राप्त [illegible] जमाबन्दी अनूपगढ़ उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है [illegible] की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट हेतु पटवारी हल्का को लिखा गया। मुताबिक पटवारी हल्का [illegible] पटवारी हल्का 9 एल.एम (बी) की रिपोर्ट अनुसार मुताबिक [illegible] 303/436 मु.न. 2 का सयुक्त खाता सख्या 35 में से प्रार्थी ब्रहमाराम [illegible] नाम 949/3795 हिस्सा तथा मु.न. 15 प.न. 284/475 में 1/2 हिस्सा ब्रहमाराम पुत्र लेखराम जाति कुम्हार के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक पटवारी हल्का 90 जी.बी चक–2 एम.एस.आर के खाता सख्या 35 मे माननीय न्यायाल उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के प्रकरण सं.–102/2021 के द्वारा यथास्थिति का स्थगन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.04.28 14:59:06 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

जैरकार है। मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी ब्रहमाराम पुत्र लेखराम जाति कुम्हार व बिरमाराम पुत्र लेखराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थी अपना नाम ब्रहमाराम पुत्र लेखराम के स्थान पर बिरमाराम पुत्र लेखराम करवाना चाहता है। मुताबिक पुछताछ के आधार पर प्रार्थी के गुल दस्तावेजो/रोज काम में आने वाले दस्तावेजो मे प्रार्थी का नाम बिरमाराम पुत्र लेखराम है। दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी अपना नाम ब्रहमाराम पुत्र लेखराम के स्थान पर बिरमाराम पुत्र लेखराम के नाम की दुरुस्ती की जानी उचित है। अतः श्रीमान जी पटवारी हल्का 90 जी.बी एवं 9 एल.एम (बी) के रिपोर्ट व सलग्न दस्तावेजो के आधार पर बिरमाराम पुत्र लेखराम जाति कुम्हार के नाम की दुरुस्ती की जानी उचित है ग्राम पंचायत 4 एम.एस.आर के अनुसार ब्रहमाराम व बिरमाराम एक ही व्यक्ति का नाम बताया गया हैं ग्राम पंचायत 9 एल.एम (बी) के ब्रहमाराम व बिरमाराम दोनो नाम एक ही व्यक्ति का नाम बताया गया है। अतः प्रार्थी ब्रहमाराम पुत्र लेखराम से बिरमाराम पुत्र लेखराम करवाना चाहता हैं रिपोर्ट के साथ वादी स्वय का शपथ पत्र, ग्राम पंचायत 4 एम.एस.आर वर्ष 2024 मे जारी प्रमाण–पत्र व ग्राम पंचायत 9 एल.एम (बी) जारी प्रमाण–पत्र 2024 दैनिक डायरी आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया। तहसीलदार (भू0अ0) अनूपगढ़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट कमाकः–भू.अ./2024/3745 दिनांक–05.11.2024, ग्राम पंचायत 9 एल.एम (बी) वर्ष–2024 मे जारी प्रमाण–पत्र एवं ग्राम पंचायत 4 एम.एस.आर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर वादी का नाम ब्रहमाराम पुत्र लेखराम के स्थान पर बिरमाराम पुत्र लेखराम दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत एवं वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर सयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक–9 एल.एम (ए) तहसील अनूपगढ का का मुरब्बा नं.–15 पत्थर सं.–284/475 में कुल 3.4670 हैक्टर खातेदारी रकबा सयुंक्त खाता में दर्ज है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व चक–2 एम.एस.आर तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–2 पत्थर सं.–303/436 में कुल 3.7950 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी रकबा सयुंक्त खाता मे दर्ज है जिसमें वादी का 949/3795 हिस्सा है। वादी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में **वादी का नाम ब्रहमाराम पुत्र लेखराम के स्थान पर ब्रहमाराम उर्फ बिरमाराम पुत्र लेखराम का अंकन किया जावें।** प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज मेरे द्वारा **दिनांक–23.12.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.04.28 14:59:06 IST
Reason: SelfAttested